मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी, 2019 (फाल्गुन 2, 1940)

समय 11.00 बजे दिन.

1. निधन उल्लेख.

श्री राधेश्याम मांदलिया, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य का निधन संबंधी उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य, सिवनी क्षेत्र की बण्डोल समूह नल-जल योजना का कार्य धीमी गति से होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री प्रदीप पटेल, डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य, धार में पदस्थ आबकारी विभाग के अधिकारी द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री अरविंद सिंह भदौरिया, सदस्य, भिण्ड सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा फर्जी शिकायतकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री विनय सक्सेना, सदस्य, जबलपुर नगर निगम द्वारा प्रधान मंत्री स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, भोपाल सहित पूरे प्रदेश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) इन्जी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के गढपहरा-बहेरिया साहनी धामोनी सड़क निर्माण में अनियमितता की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य, विजयराघवगढ़ क्षेत्र के बाण सागर परियोजना के डूब प्रभावितों को मुआवजा राशि का भुगतान न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य, सतना जिले में सेवा सहकारी समितियों द्वारा कृषकों के नाम पर फर्जी ऋण निकाले जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य, गुना जिले के नारायणपुर स्थित शक्कर कारखाने द्वारा कृषकों को गन्ने का भुगतान न किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) इन्जी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले में सिंचित भूमि को असिंचित भूमि मानकर मुआवजा दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य, सीधी जिले के गुलाब सागर बांध की नहरों से रिसाव व सीपेज होने के कारण भारी मात्रा में फसलें चौपट होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य, रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, राहुल सिंह लोधी, पी.एल. तंतुवाय, सदस्य, सागर संभाग में कृषकों को उड़द खरीदी एवं भुगतान में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य, सतना नगर निगम द्वारा जलावर्धन, अमृत योजना के कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, प्रदेश में यूरिया खाद की कमी होने से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री संजय शर्मा (संजू भैया), सदस्य, तेंदूखेड़ा क्षेत्र में वियर सिस्टम से स्टापडेम का निर्माण न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य, सीधी जिले के चुरहट क्षेत्र में गरीब बेघरवार लोगों को पट्टे न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री गिर्राज डण्डौतिया, सदस्य, मुरैना जिले में कृषकों के नाम पर फर्जी ऋण निकाले जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, प्रदेश में पबजी मोबाइल गेम को प्रतिबंधित किये जाने की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) सर्वश्री दिलीप सिंह गुर्जर, उमाकांत शर्मा, डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन के उन्हेल मार्ग पर कार व वेन की टक्कर से कई लोगों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री संजय यादव (सिवनी टोला), सदस्य, जबलपुर जिले के बरगी क्षेत्र के पठारी एवं आदिवासी ग्रामों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य, ग्वालियर नगर निगम के कतिपय वार्डो में तिघरा जलाशय से पेयजल आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य, रीवा जिले के सेमरिया क्षेत्रान्तर्गत गौवंशों के भरण पोषण एवं ठहरने की समुचित व्यवस्था न होने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू), सदस्य, मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा गेहूं उपार्जन के परिवहन घोटाले की जांच न किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री राकेश पाल सिंह, सदस्य, सिवनी जिले की कृषि उपजमंडियों में धान खरीदी में अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के -

(क) ग्राम माल्या में सर्व सुविधायुक्त नवीन गौशाला स्वीकृत किये जाने,

(ख) ग्राम झारड़ा में सर्व सुविधायुक्त विश्रामगृह स्वीकृत किये जाने,

(ग) ग्राम सगवाली में नवीन हाई स्कूल स्वीकृत किये जाने,

(2) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के -

(क) ग्राम कर्रापुर के कन्या हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री का दर्जा दिये जाने,

(ख) ग्राम पंचायत कर्रापुर को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने,

(ग) ग्राम कर्रापुर तिराहा से बस स्टैण्ड से नाली निर्माण कराये जाने,

(3) श्री आशीष शर्मा, सदस्य, देवास जिले के कन्नौद/पिपल्दा MDR से बरखेड़ी तक पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने,

(4)श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम नयागांव से चिर्रिया तक मार्ग बनाये जाने,

(5) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

(क) नगर पचौर में मोहनपुरा वृहद परियोजना के ओढ़पुर वितरण केन्द्र से पेयजल प्रदाय योजना स्वीकृत किये जाने,

(ख) पचौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध कराए जाने,

(6) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले की -

(क) बंद सेवा सहकारी समितियों को बहाल किये जाने,

(ख) सुविधाजनक यात्री बसों की व्यवस्था किये जाने,

(7) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम बैलारी से अरनियामाली तक डामरीकृत सड़क का निर्माण किये जाने,

(8) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम पंचायत ऊन में पेयजल हेतु टंकी निर्माण कर नल-जल योजना प्रारंभ किये जाने,

(9) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले के -

(क) ग्राम पटना से करपा, सरई होते हुये बड़ी तुम्मी तक मार्ग का निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम पंचायत बरबसपुर में श्री सोनश्याम के घर से सम्पतिया के घर तक पी.सी.सी. रोड का निर्माण किये

(10) श्री राकेश गिरी, सदस्य, टीकमगढ़ शहर के -

(क) चारों तरफ के मार्गों को जोड़ते हुये बाय-पास का निर्माण किये जाने,

(ख) नगरपालिका के खतरनाक/असुरक्षित घोषित भवनों को गिराये जाने,

- 3 -

(11) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले में -

(क) जहर से, रेल से कटने पर एवं करंट से मृत्यु होने पर संबल योजना से सहायता राशि दिये जाने,

(ख) ग्राम पंचायत खमरिया की शासकीय भूमि पर हुये अतिक्रमण को तुरंत हटाये जाने,

(12) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के -

(क) श्रीवनी (बण्डोल) से कलाखांकी तक मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम फरेडा से सिमरिया तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(13) श्री विक्रम सिंह राणा (गुड्डू भैया), सदस्य, आगर जिले के ग्राम मैना देहरिया रोड की कंठाल नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(14) श्री गिर्राज डण्डौतिया, सदस्य, मुरैना जिले के -

(क) दिमनी के शाला विहीन ग्रामों में प्राथमिक शाला शिक्षण सत्र 2019-20 से स्वीकृत किये जाने,

(ख) दिमनी में शालाओं का उन्नयन किये जाने,

(15) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय, सदस्य, कटनी जिले के -

(क) ग्राम सिहुडी, मुहतरा आदि बाकल के पठार क्षेत्र में व्याप्त पेजयल संकट का निराकरण किये जाने,

(ख) रीठी तह. के ग्राम सिमरारी और करईया के मध्य सिंचाई डेम का निर्माण किये जाने,

(16) श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य, रीवा जिले के सिरमौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर एवं स्टॉफ की पदस्थापना किये जाने,

(17) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य, सतना जिले के दडरी सागर बहु उद्देशीय बांध का निर्माण किये जाने, तथा

(18) श्री इंदर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम चौकी शाहपुर से खामखेड़ा पंथ तक सड़क का निर्माण किए जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य.

30 मि. (1) श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) श्री पी.सी. शर्मा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (3) श्री कमलेश्वर पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. संकल्प.

डॉ.विजय लक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-

'' यतः संसद द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) अधिनियमित किया गया;

और यतः मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा उक्त अनुच्छेद के खण्ड (1) के अधीन 30 दिसम्बर, 1995 को मध्यप्रदेश राज्य में उक्त अधिनियम अंगीकृत करने का संकल्प पारित किया गया;

और यतः संसद द्वारा उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के अधीन मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का 16) द्वारा उक्त अधिनियम संशोधित किया गया;

और यतः यह वांछनीय है कि उक्त संशोधन अधिनियम को मध्यप्रदेश राज्य में लागू किया जाना चाहिए;

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में यह सभा संकल्प करती है कि मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का 16) मध्यप्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाए.''

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा .... (क्रमशः).

प्रदेश में फसलों को पाले से हुए नुकसान के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कृषकों को सर्वेवार मुआवजा तथा फसलों का उचित मूल्य व भावांतर भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 20 फरवरी, 2019